



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. (OT)/Store/ARSS/K/2026/217-224

Dated: 06.08.2026

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर फार्म में सिंचाई उपयोग हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य कराने की आवश्यकता है। इस कार्य की अनुमानित अधिकतम लागत 3.75 लाख है। इसकी आपूर्ति हेतु PAN/TAN/लाईसेन्स धारक फर्म/एजेन्सी/अनुभवी फर्म/अधिकृत व्यवहारियों से खुली निविदा आमंत्रण की दिनांक 06.08.2026 तिथि से 14.08.2026 प्रातः 11.00 बजे तक कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। खुली निविदा प्रस्ताव दिनांक 14.08.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। उक्त खुली निविदा दिनांक 14.08.2026 को ही दोपहर 1.00 बजे निविदाताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथियों के अनुसार निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	उपकरण विवरण	अनुमानित राशि	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य (90 mm x 6 mt. PVC Pipe, 6 Kg Pressure, ISI Mark = 266 NOS PVC Pipe, 15 Hydrant heavy with endcap and bend, 5 C.I. Sluice Valve & Digging of Pipeline, Installation, Checking of Leakage & Filling of Soil)	375000	7500

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर।
- श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 14.08.2026 अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
- श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को भेजकर निवेदन है कि केन्द्र की कमेटी को दिनांक 14.08.2026 को भेजकर निविदा को सम्पन्न कराने का श्रम करावें।
- श्रीमान प्रभारी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, भरतपुर को भेजकर निवेदन है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 14.08.2026 अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
- श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां-अलवर।
- श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर।
- कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....
- सूचना बोर्ड कृषि महाविद्यालय, भरतपुर।
- सूचना बोर्ड कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर।
- सूचना बोर्ड श्रीमान सचिव, पंचायत समिति कुम्हेर, भरतपुर।
- रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)



AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr. Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. (OT)/Store/ARSS/K/2026/217-224

Dated: 06.08.2026

सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने हेतु खुली निविदा प्रपत्र

खुली निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 14.08.2026 समय : दोपहर 12:00 बजे तक

अनुमानित लागत रु 3.75 लाख रुपये

निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रु0 (डी0डी0/ बैंकर चैक द्वारा)

धरोहर राशि 2 प्रतिशत रुपये 7500/-

(डी0डी0/ बैंकर चैक द्वारा) जो कि देय-

ऑफिसर इन्चार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (Officer Incharge, Agriculture Research Sub Station, Kumher) के नाम बनावें।

बजट हैड: - Revolving Fund, ARSS Kumher

वित्तीय वर्ष:- 2026-27

1. सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने की खुली निविदा प्रपत्र।
2. खुली निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं मोबाइल नं व ई-मेल सहित.....
.....
.....
.....
.....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर.....
.....
.....
.....
4. किसको संबोधित किया गया-प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) निविदा सूचना संदर्भ - 217-224 दिनांक - 06.08.2026
5. खुली निविदा सूचना संदर्भ एफ0 (OT)/STORE/ARSS/Kumher/2026-27/217-224 दिनांक - 06.08.2026
6. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
7. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या - 217-224 दिनांक - 06.08.2026 में वर्णित शर्तों से तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में दी गई उक्त खुली निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करती है।

(इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।

8. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व निविदा स्वीकृति के तीन दिवस में रुपये 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निस्पादित करना होगा व तीन प्रतिशत बकाया अमानत राशि रुपये 11250/- डी.डी. या बैंकर्स चैक के रुप में जमा करनी होगी।
9. खुली निविदा हेतु तकनीकी प्रपत्र व वित्तीय प्रपत्र को अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
10. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि को घोषणा प्रपत्र 'ब' संलग्न है।
11. खुली निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र 'स' संलग्न है।
12. खुली निविदा फार्म के साथ **FALL CLAUSE** प्रमाण प्रपत्र 'द' संलग्न है।

नोट:- निविदा के साथ खुली निविदा प्रपत्र, तथा विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता के घोषणा पत्र आदि के अभाव में खुली बोली निरस्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने हेतु खुली निविदा प्रारूप व अन्य शर्तें :-

1. खुली निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी। सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने की आपूर्ति एवं स्थापना कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के फार्म पर करनी होगी।
2. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य हेतु निविदादाता अपनी दर दर्शाए। कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. खुली निविदा मुहरबंद लिफाफे में श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के नाम प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य के लिए खुली निविदा अंकित होना चाहिए।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र द्वारा फर्म को आदेशित कार्य के पूर्ण व संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित कार्यालय कमेटी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
5. खुली निविदा दाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य/आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. खुली निविदा दाता खुली निविदा प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा खुली निविदा प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण को स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
7. सफल निविदादाता को भूमिगत पाइपलाइन डालने से पूर्व PVC Pipe (90mm x 6 mt, 6 Kg Pressure, ISI Mark, Branded) का नमूना कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. खुली निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काट छांट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। काट छांट/ओवर राइटिंग होने पर बोली रद्द की जा सकेगी।
9. किसी भी खुली निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर को होगा।
10. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जा सकेगी।
11. कार्यादेश के उपरान्त सामान की सप्लाई 30 दिन के अंदर करनी होगी एवं भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य जल्दी से जल्दी फील्ड की उपयुक्ता के आधार पर करनी होगी व बरसात के मौसम को देखते हुए यदि फील्डों में पानी भरा रहता है तो उपयुक्त स्थिति अनुसार इंस्टॉलेशन का कार्य कार्यादेश से आगामी तीन माह के अंदर पूर्ण करना होगा।
12. भूमिगत पाइपलाइन डालने के बाद व मिट्टी भरने से पूर्व फार्म प्रभारी/फार्म प्रबंधक को पानी चलाकर दिखाना होगा कि सोल्यूस बाल्व ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं व कही से पाइपलाइन से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है, उसके उपरान्त ही मिट्टी को भरने का कार्य किया जायेगा।
13. सफल खुली निविदादाता के रूप से कार्य करने में असफल रहने अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर श्रीमान प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पैनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से कराकर सकेंगे।
14. खुली निविदा प्रपत्र दिनांक 14.08.2026 को 12.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के कार्यालय में जमा कराकर एवं दिनांक 14.08.2026 को दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोले जायेंगे। निर्धारित दिनांक व समय पश्चात सीमित निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. वित्तीय निविदा में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार -बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सार भूत रूप से प्रत्युत्तरदायी निविदाओं में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी अर्थात्:-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि निविदा मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित नहो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

16. **सत्यनिष्ठा संहिता** —उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति—

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दानया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभि प्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशयसे दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

17. **हित का विरोध —**

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्ष कार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं:—
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से भ्रष्टाचार

ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उस में सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही निविदा प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदा कार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने निविदा प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और निविदा प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

18. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण**—प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:—

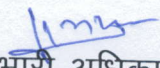
- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र - 'व') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वितीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी निविदा का मूल्यांकन करती है वहाँ वितीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथा स्थिति, निविदा दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
 - (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
 - (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
 - (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
 - (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
 - (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
 - (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
 - (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।
 - (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।
1. **अपील का प्रारूप** —(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'व') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 - (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या

- रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।
(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
 3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रतिनिः शुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
 17. बोली दाता को यह लिखकर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जायेगी। इसके लिए **PRICE FALL CLAUSE** प्रमाण पत्र 'द' संलग्न करना होगा।
 18. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा एवं सामान्य वित्त एवं लेखानियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, अधिनियम, 2012, एवं अधिनियम 2013 एवं वित्तीय विभाग, राजस्थान सूचना की दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान अनुसार लागू होगी।
 19. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, डीग/भरतपुर राजस्थान होगा।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumbher (Bharatpur)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

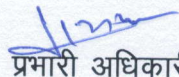
प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumbher (Bharatpur)

निविदादाता के हस्ताक्षर

सिंचाई हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य करने का स्पेशिफिकेशन

Name of Item	Specifications
Project Name:	Revolving Fund, ARSS Kumher (Bharatpur) as per The Comptroller, SKNAU Jobner Sanction No.F.03/Comp./RF/SKNAU/2026-27/1585-89 Dt – 23.06.2026
Name of Work	Technical specification
1. Underground PVC Pipe Installation	1. PVC Pipe Size – 90mm x 6 mt., 6 Kg Pressure, ISI Mark (266 PVC Pipe)
	2. 15 Hydrant heavy with endcap and bend
	3. 5 Sluice Valve (CI), nipples & fitting of sluice valves
	4. Digging 3 Feet depth & Filling of Pipeline with Installation
	5. PVC Solvant and other accessories
Terms and Conditions: 1. Free delivery and installation. 2. Complete demonstration and training for operation. 3. The company should mention the make name of the quoted item and submit the technical brochure . 4. Installation of item should be at ARSS Kumher (Bharatpur) free of cost. 5. All equipments FOR at ARSS Kumher (Bharatpur). 6. The successful bidder has to demonstrate the working of item at the site of installation. 7. The item shall be supplied, installed as per the specifications agreed by you and again being enclosed in schedule of rates Packaging and forwarding, Excise duty, Sales tax, Entry tax, if any, transportation including insurance and installation charges are inclusive in the approved FOR rates. 8. Supply order may be placed as per office need & required. 9. Technical bid & Financial bid may be submitted sprate envolups with relevant papers. 10. Financial bid may be opened after success bidder in technical bid.	

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


 प्रभारी अधिकारी
 कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2026/217-224

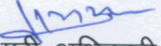
Date:- 06.08.2026

खुली निविदा हेतु वाछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें।

क्र. सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची क्रमांक
1.	निविदा शर्तों पर सहमति मय हस्ताक्षर	
2.	निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'ब'	
3.	निविदादाता द्वारा संलग्न घोषणा प्रपत्र 'स'	
4.	निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'द'	
5.	निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र 'य' व प्रपत्र E	
6.	निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र मय यू.डी.एन. (वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25)	
7.	पैन नम्बर व वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की प्रति संलग्न करनी होगी।	
8.	Make of the quoted item and technical brochure	
9.	Supplier has mentioned service support number on firm letter head.	
10.	Manufacturer/supplier should submit one years past government supply order.	
11.	निविदा शुल्क रुपये 500	
12.	2 % Earnest Money Deposit Rs 7500	
13.	Submit Rs 100 Stamp paper for 1 Year Guarantee/Warantee certificate as per specifications	

नोट:- उपरोक्त वाछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Uttarpradesh)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर

एफ0 (OT)/STORE/ARSS/Kumher/2026/217-224

दिनांक: 06.08.2026

प्रपत्र - अ

वित्तीय निविदा

सेवा में,

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी,
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र,
कुम्हेर।

विषय:- सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डलवाने हेतु अनुमोदित दर प्रस्तुत करने बावत्।

1. संवेदक अथवा फर्म का नाम:-
2. स्थाई पता:-
3. ई.मेलमोबाइल नं0.....
4. टिन/जी.एस.टी. नं0:(फोटोप्रति संलग्न करें)
5. पैन नं0:-.....(फोटोप्रति संलग्न करें)
6. आई डी0 नं0 (वोटर आईडी/ आधार कार्ड नं0आदि):.....(फोटोप्रति संलग्न करें)
7. निविदा का विवरण:-

सिंचाई हेतु 1600 मीटर भूमिगत पाइपलाइन डलवाने हेतु विवरण निम्न प्रकार :-

क्र0 सं0	विवरण	कुल योग प्रति नग (समस्त कर सहित)
1.	Underground PVC Pipeline Installation (90 mm x 6 mt. PVC Pipe , 6 Kg Pressure, ISI Mark (266 PVC Pipe), 15 Hydrant heavy with endcap and bend, 5 C.I. Sluice Valve & Digging of soil 3 feet depth & Filling of Pipeline & Installation (Use good quality PVC solution) and other accessories	
कुल राशि शब्दों में:-		

8. वारंटी समय.....।
9. सर्विस मुहैया कराने वाले एजेन्सी एवं स्टेशन का स्थान:.....।
10. मैं/हम सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने इस निविदा में दी गई सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ।
यह निविदा मैंने / हमने नियम व शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षरशुदा जमा करा रहा हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

(नाम.....)

पता:.....

.....

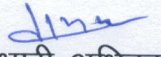
मोबाइल नं0:.....


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

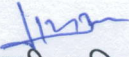
यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (Forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता द्वारा घोषणा

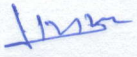
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कृषि उपकरणों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

Price Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर जिला डीग से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।


प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स.....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की संलग्न है।

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN.

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता

एवं सील

अंकक्षक/ सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या


Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumber (Bharatpur)

Affidavit**(on non-judicial stamp paper of 100/-)**

I.....S/o.....Aged
 yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of M/s

..... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued
 acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries
 Center.....The acknowledgment No.
 isDated and has been issued for manufacture of
 following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has
 not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is
 regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped
 to manufacture the above noted items.

**Signature of proprietor /Director
 Authorized Signatory with Rubber
 Stamp and date**

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
 Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and
 confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my
 knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

[Signature]
Officer Incharge
 Agril. Res. Sub. Station
 Kumbher (Bharatpur)

Appendix- E

Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No.
Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

FORM NO. 1
(On Firm's letter head)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

[See rule 83 of RTPP and GCC No.-23]

Appeal No..... of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

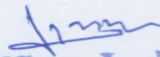
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature


Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)